16/2/26

उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया जावे। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2025/98

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 32/2025 GCMS-2025/98 दायर दिनांक : 06.02.2025

महावीर पुत्र भीयाराम जाति नाई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. गणेशाराम पुत्र भीयांराम
2. पुष्पा पत्नी गणेशाराम
3. बृजलाल पुत्र भीयांराम
4. रामप्रताप पुत्र भीयांराम
5. साहबराम पुत्र भीयांराम
6. हरीराम पुत्र भीयांराम

अकवाम नाई निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

7. रतनलाल पुत्र संतराम उर्फ संतलाल जाति सोनी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. लेखराम पुत्र रामचन्द्र जाति नाई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. रामप्रताप पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
10. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा सूरतगढ़
11. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सूरतगढ़
12. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक
13. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3
3. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 16.02.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित।

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वाद–पत्र वास्ते खाता विभाजन के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 एस.एम. आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के संयुक्त खाता सं. 40/35 के पत्थर नं. 93/6 (42) के किला नं. 5 से 8, 13 से 18, 23/2, 24/1, 25/2 = 3.214 है0, पत्थर नं. 93/13 (40) के किला नं. 1, 2, 4 से 7, 8/2, 9 से 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 22/2, 23/1 = 3.542 है0, पत्थर नं. 93/20 (32) के किला नं. 1, 2, 10 = 0.759 है0 व पत्थर नं. 93/21 (39) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 9, 10, 11/1, 12 = 1.872 है0, कुल 9.387 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला भूमि में से प्रार्थी के नाम 1565/9387 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 के नाम 79/1341 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 के नाम 1012/9387 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 के नाम 133/1341 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 के नाम 1564/9387 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 के नाम 1565/9387 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 के नाम 1564/9387 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 7 के नाम 127/9387 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 8 के नाम 506/9387 हिस्सा भूमि एवं वाके चक 2 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के संयुक्त खाता सं. 43/15 के पत्थर नं. 94/63 (52) के किला नं. 12/1,13/1,,14 से 16, 17/1, 18/1, 19/1, 20/2 = 1.784 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में से प्रार्थी के नाम 297/1784 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 के नाम 65/892 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 के नाम 931/1784 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 के नाम 297/1784 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 6 के नाम 129/1784 हिस्सा भूमि तथा वाके चक 4 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 25/24 के पत्थर नं. 94/56 (1) के किला नं. 7 से 12 = 1.518 है0 अनकमाण्ड भूमि में से प्रार्थी के नाम 493/3036 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 के नाम 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 के नाम 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 के नाम 13/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 के नाम 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 6 के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुताबिक घरू बंटवारा काबिज होकर काश्त कर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jal Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रहे हैं। प्रार्थी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को कड़ी मेहनत से सुधार कर काबिल काश्त किया है। भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा लघु काश्तकारों को दी जाने वाली सुविधा प्राप्त करने, बैंक से ऋण लेने आदि में प्रार्थी को कठिनाई आने लगी है एवं साथ ही भविष्य में कोई झगड़ा न हो, इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मुताबिक घरू बंटवारा खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिये जाने के कारण प्रार्थी ने खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि पर जबरन काबिज होकर, संयुक्त खाते का नाजायज फायदा उठाकर खाता विभाजन से पूर्व अच्छी किस्म का रकबा बेचान कर अजनबी खरीददार को कब्जा सौंपने की फिराक में है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा ना पूरा होने वाला नुकसान साबित है, इसलिए प्रार्थी ने जैर प्रार्थना–पत्र संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के संयुक्त खाता सं. 40/35 के पत्थर नं. 93/6 (42) के किला नं. 5 से 8, 13 से 18, 23/2, 24/1, 25/2 = 3.214 है0, पत्थर नं. 93/13 (40) के किला नं. 1, 2, 4 से 7, 8/2, 9 से 11, 12/1, 19/1, 20, 21/1, 22/2, 23/1 = 3.542 है0, पत्थर नं. 93/20 (32) के किला नं. 1, 2, 10 = 0.759 है0 व पत्थर नं. 93/21 (39) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 9, 10, 11/1, 12 = 1.872 है0, कुल 9.387 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला भूमि एवं वाके चक 2 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के संयुक्त खाता सं. 43/15 के पत्थर नं. 94/63 (52) के किला नं. 12/1,13/1, 14 से 16, 17/1, 18/1, 19/1, 20/2 = 1.784 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि तथा वाके चक 4 एस. एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 25/24 के पत्थर नं. 94/[illegible] के किला नं. 7 से 12 = 1.518 है0 अनकमाण्ड भूमि को रहन–बेचान [illegible] करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थी के शपथ–पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 06.02.2025 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि सभी काश्तकारों के मध्य आपसी सहमति से घरेलू तौर पर बहुत पहले बंटवारा हो चुका है और उसी अनुसार अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज काश्त हैं। सरकार से जो भी सुविधा मिलती है वह सभी को अपने–अपने हिस्सा अनुसार मिल रही है। अप्रार्थी सं. 3 ने बंटवारा में प्राप्त हल्की किस्म की भूमि को काफी मेहनत कर काश्त काश्त किया है। सभी काश्तकारों को रास्ता प्राप्त है। किसी भी काश्तकार को अपने हिस्से की भूमि पर बैंक ऋण मिलता है। सभी काश्तकारों के आगे अपना हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी, प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर कतई कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहते। एक सहकाश्तकार का दूसरे सहकाश्तकार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करना कानून सम्मत नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है, ना ही सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए पूर्व में जारी टी.आई. खारिज की जाकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अप्रार्थी सं. 3 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी 212 आर.टी.ए. में महावीर ने एकतरफा टी.आई. प्राप्त कर शेष अप्रार्थी जो कि उसके परिवार के हैं, को जानबूझकर तामील नहीं करवा रहा है जिससे अप्रार्थी सं. 3 पूर्णतया प्रभावित है, इसलिए तलबी अभाव में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी 212 आर.टी.ए. खारिज [illegible] में टी.आई. पर अन्तिम बहस सुनी जाकर निर्णय [illegible] निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 3 सीनियर सिटीजन है, इस[illegible] किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी सं. 3 के प्रार्थना–पत्र पर पू[illegible] में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कृषि सुधार कार्यों आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि पर जबरन काबिज होकर, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान कर, प्रार्थी की अच्छी किस्म की भूमि का कब्जा अजनबी क्रेता को सौंप देने की फिराक में है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर दिनांक 06.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मियाद ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रार्थना–पत्र भूमि के सभी काश्तकार आपसी सहमति से घरेलू बंटवारा कर अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, जिसे प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया है। किसी भी काश्तकार को सरकार से मिलने वाली सुविधा, बैंक ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही। कब्जा काश्त या रास्ता आदि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी भी मुताबिक घरेलू बंटवारा कब्जा काश्त अपने हिस्सा की भूमि का बंटवारा अन्य सहकाश्तकारों से अलग करवाने पर सहमत है। प्रार्थी ने यह तथ्य झूठे अंकित किये हैं कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते हैं। विधि अनुसार सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का ईंच–ईंच भूमि पर कब्जा माना गया है, इसलिए सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। वाद निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। स्थगन से अप्रार्थी के कृषि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी का बनता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। स्थगन से अप्रार्थी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2025 निरस्त कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Rev.) 2023(2) पेज सं. 1427 की प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में जारी टी.आई. पर बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक पठन करने पर पाया कि प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम की

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि का खाता विभाजन कर अपने हिस्सा की भूमि का अलग खाता कायम किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है और वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर वाद निर्णय तक भूमि जैर प्रकरण खातेदारी कृषि भूमि को रहन–बेचान नहीं करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ने न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Rev.) 2023(2) पेज सं. 1427 का हवाला देते हुए निवेदन किया है कि विधि अनुसार सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का ईंच–ईंच भूमि पर कब्जा माना गया है, इसलिए सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। सभी सहकाश्तकार आपसी से सहमति से घरेलू बंटवारा कर काफी समय से अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और न ही अप्रार्थी, प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी तरह से काबिज होना चाहते हैं। पूर्व में जारी स्थगन से अप्रार्थी को नुकसान हो रहा है, इसलिए पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2025 निरस्त कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. निरस्त करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का बनना प्रतीत नहीं होता। वाद के निर्णय की प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। न्यायालय की मंशा है कि किसी भी खातेदार को कोई नुकसान न हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर पूर्व में दिनांक 06.02.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मियाद जैर प्रार्थना–पत्र खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम अंकित भूमि की सीमा तक ताफैसला वाद बढ़ाई जाती है एवं अप्रार्थीगण के नाम अंकित शेष भूमि स्थगन से मुक्त की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 16.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)